तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा तहसीलदार बनेड़ा बनाम चाल्या वगैरह विरुद्ध- 92 न० - 65/18	

28.08.2018

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण नियत शिविर में अनुपस्थित। वादी यानि राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत सहखातेदारान के हिस्सों के सही विभक्तीकरण करा, घोषणात्मक डिक्री चाहने अनुतोष आशय से यह राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली वादी पक्ष को प्रस्तुत करने विपक्षीगणों के सम्मन प्रोसस व मृतक विपक्षी संख्या 12 का कायम मुकाम प्रार्थनापत्र हेतु नियत है किन्तु वादी पक्ष से इस पूर्ति के लिए आज कोई हाजिर नही है विधिवत तीन मर्तबा आवाजे लगाये जाने के उपरान्त भी राज्य पक्ष की और से पेरोकार हाजिर नही आये, प्रकरण को आगे विधिवत चलाये जाने में इस प्रकार की पूर्ति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, जो कि वादी पक्ष के द्वारा ही की जाती है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा